

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

वित्त भवन 'ए' ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2740735, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति. कार्य./अलेसे-III/465

दिनांक:- 30-01-2026

कार्यालय आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र.स.	रोल न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	764818	मोनिका शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	निदेशक, पेंशन एव पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विधानसभा जयपुर	कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।


(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति. कार्य./अलेसे-III/465

दिनांक:- 30-01-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदया।
5. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक श्री/सुश्री/श्रीमतिकनिष्ठ लेखाकार को पालनार्थ।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)